2024 का विधेयक संख्यांक 104

[दि रिएडजस्टमेंट आफ रिप्रेजेन्टेशन आफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेम्बली कान्स्टीट्यून्सीज आफ दि स्टेट आफ गोवा बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

गोवा राज्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनःसमायोजन विधेयक, 2024

अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार स्थानों का आरक्षण करने में समर्थ होने और गोवा राज्य की विधान सभा में स्थानों का पुनःसमायोजन जहां तक ऐसा समायोजन गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने से आवश्यक हो गया है, के लिए तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गोवा राज्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनःसमायोजन अधिनियम, 2024 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जनगणना आयुक्त" से जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त जनगणना आयुक्त अभिप्रेत है ; 1948 का 37

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "परिसीमन अधिनियम" से परिसीमन अधिनियम, 2002 अभिप्रेत है ; 2002 का 33

(घ) "परिसीमन आदेश" से संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 अभिप्रेत है ;

(ङ) "अंतिम जनगणना" से भारत में वर्ष 2001 में की गई जनगणना अभिप्रेत है ;

(च) "अनुसूचित जातियां आदेश" से समय-समय पर यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 अभिप्रेत हैं ; स0 आ0 19 स0 आ0 32

(छ) "राज्य" से गोवा राज्य अभिप्रेत हैं ।

अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्राक्कलन ।

3. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के यथाशक्य शीघ्र पश्चात्, राज्य में, अनुसूचित जनजातियों की अंतिम जनगणना यथाविद्यमान जनसंख्या जनगणना आयुक्त द्वारा अभिनिश्चित और प्राक्कलित की जाएगी ।

(2) अनुसूचित जनजातियां आदेशों में किए गए संशोधनों के कारण अनुसूचित जनजातियों की, अंतिम जनगणना के पश्चात् इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख तक, जनसंख्या में राज्य में परिवर्तन हो जाता है, वहां जनगणना आयुक्त अनुसूचित जनजातियों की, इस परिवर्तित जनसंख्या को ऐसे प्रारंभ की तारीख को अभिनिश्चित और प्राक्कलित करेगा तथा अंतिम जनगणना में राज्य की कुल जनसंख्या से, क्रमशः अनुसूचित जनजातियों की उस जनसंख्या के अनुपात को भी अभिनिश्चित या प्राक्कलित करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित और प्राक्कलित किए गए जनसंख्या के आकड़ों को जनसंख्या आयुक्त द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

(4) इस प्रकार अधिसूचित किए गए जनसंख्या आंकड़ों को सुसंगत जनसंख्या आंकड़ों के रूप में लिया जाएगा और अंतिम जनगणना के समय अभिनिश्चित या प्राक्कलित किए गए पूर्व में प्रकाशित आंकड़े अतिष्ठित हो जाएंगे ; और इस प्रकार अधिसूचित आंकड़े अंतिम होंगे और उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

आयोग द्वारा स्थानों का पुनः समायोजन ।

4. (1) राज्य के लिए धारा 3 के अधीन जनसंख्या आंकड़ों को अधिसूचित किए जाने के पश्चात् आयोग राज्य की अनुसूचित जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के संविधान के अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 332, परिसीमन अधिनियम की धारा 8 और इस अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आदेश में ऐसे संशोधन करेगा, जो आवश्यक हों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की दूसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित हुई समझी जाएगी । 1950 का 43

(2) उपधारा (1) के अधीन परिसीमन आदेश में कोई संशोधन करने में आयोग, जहां तक आवश्यक हो, परिसीमन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपबंधों को ध्यान में रखेगा ।

(3) आयोग—

(क) संशोधनों के लिए अपने प्रस्तावों को भारत के राजपत्र तथा संबंधित राज्य के राजपत्र में और ऐसी रीति में भी, जो वह ठीक समझे, प्रकाशित करेगा ;

(ख) ऐसी किसी तारीख को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसको या जिसके पश्चात् ऐसे प्रस्तावों पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा ;

(ग) ऐसे सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो उसके द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगा और ऐसे विचार-विमर्श के लिए राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जो वह ठीक समझे, एक या उससे अधिक सार्वजनिक बैठकें आयोजित करेगा ; और

(घ) तत्पश्चात् परिसीमन आदेश में आवश्यक संशोधन करेगा ।

आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां ।

5. (1) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, अपनी स्वयं की प्रक्रिया का अवधारण करेगा और उसे निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

1908 का 5

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना ;

(ख) किसी दस्तावेज को पेश किए जाने की अपेक्षा करना ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसे बिंदुओं या मामलों पर ऐसी कोई जानकारी, जो आयोग की राय में आयोग के विचाराधीन किसी मामले के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो सकती है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी ।

2023 का 46

(3) आयोग को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 384 और धारा 385 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(4) साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजनों के लिए आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी ।

संशोधनों और उनके प्रचालन की तारीखों का प्रकाशन ।

6. (1) आयोग परिसीमन आदेश में उसके द्वारा किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र और राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कराएगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा संशोधन, भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने पर, विधि का बल रखेगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक ऐसा संशोधन, भारत के राजपत्र में ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, यथाशीघ्र लोक सभा के तथा राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

(4) पुनःसमायोजन को शास्ति करने वाली किसी विधि और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य की विधान सभा में स्थानों और राज्यक्षेत्रीय निर्वाचन-

क्षेत्रों का पुनः समायोजन, जो आयोग द्वारा परिसीमन आदेश में किए गए किन्हीं संशोधनों के कारण और इस प्रकार यथासंशोधित उस आदेश में उपबंधित किए जाने के कारण आवश्यक हो गया है, भारत के राजपत्र में ऐसे संशोधनों के प्रकाशन के पश्चात्, यथास्थिति, विधान सभा के लिए हुए प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में लागू होगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अंतर्विष्ट प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंधों को अधिक्रांत करते हुए इस प्रकार लागू होगा ।

1950 का 3

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात का लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि आयोग द्वारा किए गए संशोधनों के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।

आयोग की कतिपय अन्य शक्तियां ।

7. (1) आयोग समय-समय पर भारत के राजपत्र और राज्य के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) इस अधिनियम के अधीन यथासंशोधित परिसीमन आदेश में किसी मुद्रण संबंधी त्रुटि या उसमें अनवधानीवश किसी भूल या लोप द्वारा कारित अशुद्धि को ठीक कर सकेगा ; और

(ख) जब उक्त आदेश में वर्णित किसी जिले की सीमाओं या नाम या किसी प्रादेशिक प्रभाग में परिवर्तन होता है या परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे संशोधन करेगा, जो आदेश को अद्यतन करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना को उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र लोक सभा और राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

8. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चूंकि, वर्तमान में, गोवा राज्य में विधान सभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को आरक्षण उपलब्ध नहीं है, अनुसूचित जनजाति समुदाय को आरक्षण का उपबंध करने के लिए स्थानों की पहचान और अवधारण करने की प्रक्रिया आरंभ करने का निदेश देने के लिए विभिन्न स्रोतों से सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए है । चूंकि परिसीमन का कार्य वर्ष 2002 में आरंभ हुआ था, वर्ष 2001 के जनसंख्या आंकड़ों में उस समय गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या केवल 566 अभिलिखित की गई थी, जब कि गोवा राज्य की कुल जनसंख्या 13 लाख से अधिक थी, गोवा के अनुसूचित जनजाति समुदाय, संविधान के अनुसार अपने समुदायों के लिए विधान सभा में स्थानों के आरक्षण का फायदा लेने में समर्थ नहीं थे ।

2. तत्पश्चात्, तीन नए समुदाय अर्थात् कुनबी, गावड़ा और वेलिप संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश) संशोधन, अधिनियम, 2003 द्वारा गोवा राज्य के अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए गए थे, जिससे राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है । इस प्रकार, राज्य में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के मुकाबले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफी अधिक है (गोवा राज्य के लिए प्रारंभिक जनगणना सार 2011 के अनुसार, कुल जनसंख्या 14,58,545 थी ; अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25,449 थी और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1,49,275 थी) किंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं किया गया है और अनुच्छेद 332 द्वारा उन्हें दिए गए आरक्षण का सांविधानिक फायदा लेने में असमर्थ हैं ।

3. इसके अतिरिक्त, जहां परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा और वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर संविधान के उपबंधों के अर्थांतर्गत परिसीमन प्रक्रिया की जाती है, वहां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 या परिसीमन अधिनियम, 2002 में कोई ऐसा उपबंध नहीं है जो राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अनूसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का और परिसीमन करने या निर्वाचन क्षेत्रों को अवधारित करने के लिए निर्वाचन आयोग को समर्थ बना सके ।

4. परिसीमन आयोग, वर्ष 2008 में उसे सौंपे गए कार्य के पूरा होने के पश्चात् अस्तित्व में नहीं रह गया है । संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के अनुसार अगला परिसीमन तब तक के लिए रोक दिया गया है, जब तक वर्ष 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिए जाते हैं । इसलिए, गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने के लिए स्थानों का कोई पुन: समायोजन नहीं किया जा सकता, जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के मुकाबले में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार काफी बढ़ गई है ।

5. इसलिए, संसदीय और सभा निर्वाचन आदेश, 2008 में संशोधन करने और गोवा

राज्य की विधान सभा में राज्य की अनुसूचित जनजातियों के स्थानों को समायोजित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को समर्थकारी उपबंधों का उपबंध करने में सशक्त बनाने हेतु कोई विधि अधिनियमित करना अत्यावश्यक हो गया है ।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार स्थानों के आरक्षण को और गोवा राज्य में विधान सभा में स्थानों के पुनः समायोजन का उपबंध करने, जहां तक ऐसा समायोजन गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने से आवश्यक हो गया है और उससे उपाबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए समर्थ होने हेतु संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है ।

7. विधेयक पूर्वोक्त उदेद्श्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
29 जुलाई, 2024

अर्जुन राम मेघवाल

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक यदि अधिनियमित किया जाता है तो इसमें भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 4 का उपखंड (1) संविधान, परिसीमन अधिनियम और इस विधेयक के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, परिसीमन आदेश में आवश्यक संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग को शक्तियां प्रदत्त करता है ।

2. विधेयक के खंड 7 का उपखंड (1), निर्वाचन आयोग को, अधिसूचना द्वारा, परिसीमन आदेश में किसी मुद्रण संबंधी त्रुटि या किसी भूल को ठीक करने के लिए और किसी जिले या क्षेत्रीय प्रभाग के नाम और सीमाओं में किसी परिवर्तन के अनुसरण में, आवश्यक संशोधन करने के लिए भी सशक्त करता है ।

3. विधेयक के खंड 8 का उपखंड (1), केंद्रीय सरकार को, ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होती है, दो वर्ष की अवधि के भीतर, आदेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त करता है ।

4. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष और राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी । केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

5. वे विषय, जिनके संबंध में अधिसूचना जारी की जा सकेगी या आदेश किया जा सकेगा, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं, अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन, सामान्य प्रकृति का है ।